रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 1971/फाल्गुन 26, 1892

No. 45] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 1971/PHALGUNA 26, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ?

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

*CORRIGENDUM*

INCOMETAX

*New Delhi, the 17th March, 1971*

**G.S.R.394.**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 260, dated the 18th February, 1970, published at pages 99—109 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 18th February, 1970,—

(1) at page 100,

(i) in lines 20 and 21, *for* "(import sur le revenue des personnes physiques)" *read* "(import sur le revenu des personnes physiques)";

(ii) in line 22, *for* "(taxe omplementaire)" *read* "(taxe complementaire)";

(2) at page 101,

(i) in lines 5 and 6, omit "and any person who is resident in France for the purposes of French tax,";

(ii) in line 27, *for* "asembly" *read* "assembly";

(3) at page 103, in line 31, *after* "formulae" *insert* ",";

(4) at page 105, in line 36, *for* "subject" *read* "subjected";

(5) at page 109, in line 21, *for* "the" *read* "to".

[No. 83/F.No. 11(33-a)63-TPL.]

R. N. MUTTOO, Addl. Secy.

---

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1971

### शुद्धि पत्र

**जी०एस०आर० 395**—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की हिन्दी में प्रकाशित अधिसूचना सा०का०नि० 260 तारीख 18 फरवरी, 1970 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण तारीख 18 फरवरी, 1970 भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (i) में पृष्ठ 110 से 124 पर प्रकाशित हुई थी निम्न शुद्धियां की जाएं, अर्थात् :—

| पंक्ति | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|
| **पृष्ठ—110** | | |
| 1 | "के लिए भारत" | "के लिए, भारत" |
| 3 | "अपेक्षानुसार दोनों" | "अपेक्षानुसार, दोनों" |
| 6 | "करते हुए" | "करते हुए," |
| 7 | "संघ म" | "संघ में" |
| 8 | "उपबन्ध" | "उपाबन्ध" |
| 15 | "भारत म" | "भारत में" |
| 16 | "उदग्रहीत" | "उद्गृहीत" |
| 19 | "उदग्रहीत" | "उद्गृहीत" |
| 20 | "अतिकर" | "अतिकर," |
| 24 | "सीसीयत" | "सोसीयत" |
| **पृष्ठ 111** | | |
| 31 | "फ्रांस" | "फ़्रांस" |

| पंक्ति | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|
| पृष्ठ 112 | | |
| 6 | "तद्रप" | "तद्रूप" |
| 10 | "प्से" | "से" |
| 12 | "यदि :—" | "यदि—" |
| 20 | "पूर्ि " | "पूर्ति" |
| 30 | "मध्यम" | "मध्यग" |
| 30 | "रूप" | "रुप" |
| पृष्ठ 113 | | |
| 1 | "पद में" | "पद से" |
| 4 | "विवचन" | "निर्वचन" |
| 12 | "व्यूत्पन्न" | "व्यूत्पन्न" |
| 20 | "ब्यौहार" | "व्यौहार" |
| 21 | "प्रवधारण" | "अवधारण" |
| 21 | "ऐंस" | "ऐसे" |
| 30 | "स्वामित्व" | "स्वामिस्व" |
| 30 | "विनिर्दिष्ट" | "निर्दिष्ट" |
| पृष्ठ 114 | | |
| 5 | "उद्य" | "उद्यम" |
| 12 | "उस" | "उन" |
| 21 | "उद्ग्रणीय" | "उद्ग्रहणीय" |
| 22 | "स" | "से" |
| 23 | "पर दूसरे" | "पर उस दूसरे" |
| 29 | "अनुच्छद" | "अनुच्छेद" |
| पृष्ठ 115 | | |
| 7 | "अधिकार क" | "अधिकार के" |
| 22 | "व्यूत्पन्न" | "व्युत्पन्न" |
| 27 | "उसे" | "उस" |

| पंक्ति | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|
| पृष्ठ 116 | | |
| 3 | "एतद्द्वारा" | "तद्द्वारा" |
| 10 | "राष्ट्रिक है" | "राष्ट्रिक है," |
| 11 | "व्यक्ति" | "व्यष्टि" |
| 22 | "निवासी है" | "निवासी है," |
| 24 | "है—" | "है" |
| 26 | "शब्द" | "शब्द" |
| 31 | "है कि" | "है कि," |
| 31 | "में" | "में," |
| 33 | "संबलम" | "सम्बलम्" |
| 33 | "परिश्रमिक" | "पारिश्रमिक" |
| पृष्ठ 117 | | |
| 1 | "को" | "को," |
| 2 | "निवासी हो" | "निवासी है" |
| 2 | "संबलम" | "संबलम्" |
| 3 | "गाया" | "लगाया" |
| 4 | "सकेगा यदि :—" | "सकेगा, यदि—" |
| 5 | "राज्य में" | "राज्य में," |
| 6 | "रहा है" | "रहा है," |
| 8 | "जाता है" | "जाता है," |
| 9 | "नहीं हैं" | "नहीं हैं," |
| 10 | "स्थायन के" | "स्थापन के," |
| 11 | "प्रभार्य है" | "प्रभार्य है," |
| 12 | "हुए भी" | "हुए भी," |
| 13 | "वैयबितक" | "वैयक्तिक" |
| 16 | "निवासी को" | "निवासी," |
| 17 | "व्यत्पन्न" | "व्युत्पन्न" |
| 19 | "नाट्य चलचित्र" | "नाट्य, चलचित्र," |

| पंक्ति | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|
| 21 | "जाएगा" | "जाएगा," |
| 21 | "जाता है" | "जाता है ।" |
| 23 | "द्वारा" | "द्वारा," |
| 23 | "अधम" | "उद्यम" |
| 24 | "के लिए" | "के लिए," |
| 25 | "संविदाकरी" | "संविदाकारी" |
| 26 | "है" | "है" |
| 26 | "संगणना में" | "संगणना में," |
| 27 | "संगम में" | "संसर्ग में," |
| 27 | "व्ययों की कटौती अनज्ञात" | "व्ययों की कटौती अनुज्ञात" |
| 31 | "विश्वविद्यालय कालेज स्कूल" | "विश्वविद्यालय, कालेज, स्कूल" |
| 33 | "जाता है" | "जाता है," |
| पृष्ठ 118 | | |
| 1 | "लगा है" | "लगा है," |
| 4 | "व्यष्टि" | "व्यष्टि" |
| 5 | "मा त्र :—" | "मात्र—" |
| 11 | "रूप में" | "रूप में," |
| 12 | "यथास्थिति :—" | "यथास्थिति—" |
| 13 | "भरण-पोषण शिक्षा" | "भरण-पोषण, शिक्षा," |
| 14 | "राशियों पर" | "राशियों पर," |
| 17 | "आवश्यक है" | "आवश्यक है," |
| 22 | "तकनीकी" | "तकनीकी," |
| 24 | "उपस्थिति है उसपर" | "उपस्थित है, उसपर," |
| 26 | "करैसी" | "करेंसी" |
| 27 | "अनधिक है" | "अनधिक है," |
| 30 | "प्रशिक्षणअध्ययन" | "प्रशिक्षण, अध्ययन" |
| 30 | "उपस्थित है" | "उपस्थित है," |
| 30 | "प्रशिक्षण" | "प्रशिक्षण", |
| 31 | "सम्बन्धि" | "सम्बन्धित" |
| 33 | "अनधिक है" | "अनधिक है," |

| पंक्ति | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|
| पृष्ठ 119 | | |
| 4 | "किन्तु," | "किन्तु" |
| 5 | "क्रांस" | "फ्रांस" |
| 6 | "दायित्वाधीन है" | "दायित्वाधीन है," |
| 7 | "वर्तमान हमारे करार" | "वर्तमान करार" |
| 9 | "जाता है" | "जाता है," |
| 10 | "भारत" | "भारत", |
| 11 | "संदय" | "संदेय" |
| 11 | "करेगा" | "करेगा," |
| 12 | "संदय है" | "संदेय है," |
| 13 | "संदय" | "संदेय" |
| 13 | "और" | "और," |
| 13 | "होतो" | "हो तो," |
| 16 | "अध्याधीन" | "अध्यधीन" |
| 21 | "संदर्भ" | "संदेय" |
| 22 | "हुआ है ;" | "हुआ है :" |
| 24 | "संदैय" | "संदेय" |
| 25 | "संदय" | "संदेय" |
| 26 | "आ कर" | "आयकर" |
| 27 | "संदर्भ" | "संदेय" |
| 28 | "संदय" | "संदेय" |
| 30 | "स्रोतो व्यत्पन्न हुए हैं" | "स्रोतों से व्यत्पन्न हुए हैं," |
| 31 | "संदर्भ" | "संदेय" |
| 31 | "लेख" | "लेख" |
| 33 | "सगिणित" | "संगणि त" |
| 35 | "80अ" | "80ञ" |
| 35 | "प्राप्त है" | "प्राप्त है," |
| 36 | "जाएगा कि कि" | "जाएगा कि" |
| 37 | "प्राप्त है" | "प्राप्त है," |

| पंक्ति | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|
| पृष्ठ 120 | | |
| 1 | "आय" | "आय," |
| 2 | "जाना है" | "जाना है," |
| 6 | "उपलभ" | "उपलभ्य" |
| 9 | "विषय है" | "विषय हैं," |
| 17 | "परिस्थितियाँ" | "परिस्थितियों" |
| 18 | "म" | "में" |
| पृष्ठ 121 | | |
| 2 | "करार" | "करार," |
| 5 | "प्रभावशाली" | "प्रभावशील" |
| 6 | "माध्यमों" | "माध्यमों" |
| 9 | "पर्यावसान" | "पर्यवसान" |
| 11 | "कर देगा" | "कर देगा ।" |
| 18 | "वाले, कि" | "वाले कि," |
| 20 | "तदुपरि" | "तदुपरि," |
| 21 | "कलेंडर" | "कलेंडर" |
| 21 | "होता है" | "होता है," |
| 23 | "गारे में" | "बारे में," |
| 24 | "क्लेंडर" | "कलेंडर" |
| 24 | "होता है" | "होता है," |
| 28 | "कोई" | "कोई," |
| 28 | "क्लेंडर" | "कलेंडर" |
| 29 | "दशा में" | "दशा में," |
| 30 | "क्लेंडर" | "कलेंडर" |
| ) | "जाती है" | "जाती है," |
| 32 | "रहेगा ;" | "रहेगा," |

| पंक्ति | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|
| पृष्ठ 122 | | |
| 1 | "क्लेंडर" | "कलेंडर" |
| 1 | "कलडर" | "कलेंडर" |
| 6 | "पैरिस" | "पेरिस" |
| 6 | "गया" | "गया," |
| 11 | "पैरिस" | "पैरिस" |
| 12 | "श्रीमान महासचिव" | "श्रीमान् महासचिव," |
| 19 | "चाहिए" | "चाहिए," |
| 30 | "दशा में" | "दशा में," |
| पृष्ठ 123 | | |
| 9 और 10 | "पैरिस" | "पेरिस" |
| 12 | "आपन" | "अपने" |
| 27 | "संसैग" | "संसंग" |
| 30 | "संग" | "संसंग" |
| पृष्ठ 124 | | |
| 1 | "प्रात" | "प्राप्त" |
| 8 | "पैरिस" | "पेरिस" |
| 8 | "रामेश्वर नाथ मुट्टु, अपर सचिव" | "रामेश्वर नाथ मुट्टु, अपर सचिव भारत सरकार" |

[सं० 73 फा० सं० 11(3)-a)63-टी पी एल]

रामेश्वर नाथ मुट्टु, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 1971/फाल्गुन 28, 1892

No. 46] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 1971/PHALGUNA 28, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

*New Delhi, the 19th March 1971*

G.S.R.396.—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Corporations Rules, 1965, namely:—

1. These rules may be called the Food Corporations (Amendment) Rules, 1971.

2. In rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, for sub-rules (1), (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(1) The term of office of the Chairman shall be three years from the date of his assumption of office as Chairman.

(2) The term of office of the Managing Director shall be five years from the date of his assumption of office as Managing Director.

(3) The term of office of a Director appointed under clause (e) of sub-section (1) of section 7 of the Act shall be two years from the date of his assumption of office as Director and he shall hold office during the pleasure of the Central Government: